| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज |
|---|---|
| | डिलवानी आने पर भी प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रार्थी प्रा०पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।<br><br>राजवीर सिंह यादव<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नीमकाथाना (सीकर) |